उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)

उद्देश्य:

- उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन और मूल्य संवर्धन बढ़ाकर पारंपिरक उद्योगों और कारीगरों को सामूहिक रूप से संगठित करना।
- पारंपरिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना तथा स्थायी रोजगार प्रदान करके कारीगरों की आय में वृद्धि करना।

मुख्य लाभ

- भारत सरकार का समर्थन:
- 500 कारीगरों के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक
- 500 से अधिक कारीगरों के लिए 5 करोड़ रुपये।
- नवीनतम मशीनों के साथ एक उत्पादन सुविधा स्थापित की गई है
- सॉफ्ट इंटरवेंशन 25 लाख रुपये तक
- कौशल विकास
- एक्सपोज़र विज़िट
- क्रेता-विक्रेता की बैठक
- मार्केटिंग कनेक्ट , ई-कॉमर्स
- डिज़ाइन समर्थन
- कच्चे माल का समर्थन

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

• कृषि प्रसंस्करण, बांस, शहद, कॉयर, खादी आदि क्षेत्रों के पारंपरिक उद्योगों से जुड़े मौजूदा कारीगर।

विस्तार में जानकारी:

- कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्य/केन्द्र सरकार के संगठन, गैर सरकारी संगठन) द्वारा कारीगरों को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में गठित
 किया जाता है, जिन्हें भूमि और 10% (एनईआर, जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में 5%) हार्ड इंटरवेंशन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।
- भारत सरकार द्वारा हार्ड इंटरवेंशन लागत, सॉफ्ट इंटरवेंशन की संपूर्ण लागत, तकनीकी एजेंसी शुल्क और कार्यान्वयन एजेंसी शुल्क का
 90% (एनईआर, जम्मू और कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में 95%) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- विस्तृत दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं

https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx

आवेदन कैसे करें:

https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx